



सऊदी बाज़ार में निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए मार्गदर्शिका

नियामकीय और सीमा-शुल्क आवश्यकताएँ तथा उत्पाद पंजीकरण की
प्रक्रियाएँ



सामग्री की समीक्षा: अगस्त
2026



संस्करण:
2026

भारत से सऊदी बाज़ार तक

सऊदी अरब अधिराज्य भारतीय निर्यात का एक महत्वपूर्ण बाज़ार है और भारत तथा सऊदी अरब के व्यापारिक एवं आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं। रियाद स्थित भारतीय दूतावास के आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 41.88 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अधिराज्य को भारत का निर्यात लगभग 11.76 अरब अमेरिकी डॉलर था।

अधिराज्य को भारत के निर्यात में विविध उत्पाद और क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

- इंजीनियरिंग उत्पाद।
- चावल, अनाज और खाद्य उत्पाद।
- पेट्रोलियम उत्पाद।
- रासायनिक उत्पाद और सामग्री।
- वस्त्र और परिधान।
- सिरमिक उत्पाद और टाइलें।
- मशीनरी और उपकरण।
- वाहन और स्पेयर पार्ट्स।
- विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
- लौह और धातु उत्पाद।
- औषधीय और चिकित्सा उत्पाद।
- चाय, मसाले और कृषि उत्पाद।
- मांस उत्पाद और अन्य खाद्य उत्पाद।

2025 के व्यापार आँकड़ों के अनुसार, सऊदी अरब को भारत के प्रमुख निर्यात में वाहन, अनाज, मशीनरी और उपकरण, ताँबा, कार्बनिक रसायन, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लौह एवं इस्पात उत्पाद, मांस, वस्त्र और अन्य उत्पाद शामिल थे। उत्पादों की विविधता और दोनों देशों के मजबूत व्यापारिक संबंधों के बावजूद, सऊदी बाज़ार में भारतीय उत्पादों के प्रवेश के लिए सऊदी नियमों और तकनीकी विनियमों का अनुपालन आवश्यक है। आवश्यकताएँ उत्पाद के प्रकार और सक्षम नियामक प्राधिकरण के अनुसार बदलती हैं।

उत्पाद के लिए यह आवश्यक हो सकता है:

- SABER प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकरण।
- उत्पाद अनुरूपता प्रमाणपत्र प्राप्त करना।
- शिपमेंट अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी कराना।
- सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (SFDA) में पंजीकरण।
- सऊदी गुणवत्ता चिह्न प्राप्त करना।
- या उत्पाद के प्रकार के अनुसार अतिरिक्त नियामकीय आवश्यकताएँ पूरी करना।

इसलिए, अग्रिम योजना और निर्यात से पहले अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, सऊदी बाज़ार में भारतीय उत्पादों के सफल प्रवेश के सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। SABER प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग अधिराज्य में आयातित उत्पादों के पंजीकरण तथा उनके उत्पाद अनुरूपता और शिपमेंट अनुरूपता प्रमाणपत्रों के प्रबंधन के लिए किया जाता है।



सऊदी बाज़ार क्यों?

सऊदी बाज़ार मध्य पूर्व के सबसे बड़े उपभोक्ता और औद्योगिक बाज़ारों में से एक है तथा विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है।

- भारतीय निर्यात के लिए सऊदी बाज़ार को एक रणनीतिक गंतव्य बनाने वाले प्रमुख लाभ हैं:
- अरब क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।
- 3.6 करोड़ से अधिक उपभोक्ता।
- उच्च क्रय शक्ति।
- सऊदी विज़न 2030 के अंतर्गत बड़ी परियोजनाएँ।
- औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में निरंतर विस्तार।
- एशियाई और अरब बाज़ारों को जोड़ने वाली रणनीतिक स्थिति।
- भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश संबंध।
- भारत से सऊदी अरब के आयात में अनेक क्षेत्रों की भागीदारी।
- कई क्षेत्रों में भारतीय उत्पादों की बढ़ती माँग।

आधिकारिक व्यापार संबंधी आँकड़े पुष्टि करते हैं कि भारत, सऊदी अरब के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है और द्विपक्षीय व्यापार का आकार भारतीय कंपनियों के लिए सऊदी बाज़ार का महत्व दर्शाता है।



Tabseer: अनुपालन और बाज़ार में प्रवेश के लिए आपका साझेदार

Tabseer अनुरूपता मूल्यांकन और तकनीकी अनुपालन के लिए एकीकृत समाधान प्रदान करता है। इससे भारतीय कंपनियों को सऊदी और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की नियामकीय आवश्यकताएँ पूरी करने तथा अपने उत्पादों का बाज़ार में प्रवेश तेज़ करने में सहायता मिलती है।

सऊदी अरब अधिराज्य

- SABER प्लेटफ़ॉर्म पर उत्पाद पंजीकरण।
- उत्पाद अनुरूपता प्रमाणपत्र (PCoC) जारी करना।
- शिपमेंट अनुरूपता प्रमाणपत्र (SCoC) जारी करना।
- सऊदी गुणवत्ता चिह्न (SQM) प्राप्त करना।
- सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (SFDA) के प्रमाणपत्र जारी करना।
- Ghad प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से खाद्य उत्पादों और प्रसाधनों का पंजीकरण।
- उठाने वाले उपकरणों के प्रमाणपत्र जारी करना।
- ऑक्सो-जैवअपघटनीय प्लास्टिक का लोगो प्राप्त करना।

खाड़ी सहयोग परिषद

- खाड़ी अनुरूपता चिह्न (G-Mark) जारी करना।

ओमान सल्तनत

- ओमानी गुणवत्ता चिह्न प्राप्त करना।

मिस्र अरब गणराज्य

- निरीक्षण और सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करना।
- कार्बन पदचिह्न की गणना संबंधी सेवाएँ।

निर्यात प्रक्रिया के प्रमुख प्राधिकरण

भाग 1: भारतीय प्राधिकरण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय: विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) भारत में विदेश व्यापार की विभिन्न प्रक्रियाओं की देखरेख करता है। निर्यातकों के लिए एक प्रमुख आवश्यकता आयातक-निर्यातक कोड (IEC) प्राप्त करना है, जो भारत में आयात और निर्यात गतिविधियाँ संचालित करने के लिए आवश्यक है।

भारतीय सीमा-शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (ICEGATE)

ICEGATE प्लेटफॉर्म का उपयोग विदेश व्यापार से संबंधित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है, जिनमें सीमा-शुल्क दस्तावेज़ और घोषणाएँ जमा करना शामिल है। निर्यात प्रक्रियाओं और वाणिज्यिक दस्तावेज़ीकरण से जुड़े प्रमुख दस्तावेज़ हैं:

- वाणिज्यिक चालान।
- पैकिंग सूची।
- लदान बिल या हवाई माल रसीद।

उत्पाद की प्रकृति के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र।

संबंधित भारतीय नियामक प्राधिकरण

संबंधित भारतीय प्राधिकरण उत्पाद के प्रकार के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। इनमें खाद्य, औषधि, कृषि उत्पादों, मानकों और औद्योगिक उत्पादों तथा अन्य क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण शामिल हैं।

वाणिज्य मंडल और मूल-स्थान प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकृत निकाय

भारत में अधिकृत निकाय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार निर्यात के लिए आवश्यक मूल-स्थान प्रमाणपत्र जारी करते हैं। वे मूल-स्थान और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित दस्तावेज़ पूरे करने में भी निर्यातकों की सहायता करते हैं।

भारत में मूल-स्थान प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रियाएँ बढ़ते पैमाने पर DGFT द्वारा अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी की जा रही हैं।

भाग 2: सऊदी प्राधिकरण

- सऊदी मानक, मापविज्ञान एवं गुणवत्ता संगठन (SASO)।
- SABER प्लेटफॉर्म।
- सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (SFDA)।
- ज़कात, कर एवं सीमा-शुल्क प्राधिकरण (ZATCA)।

औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पाद

| SASO और SABER प्रक्रिया

भारत से सऊदी अरब अधिराज्य को निर्यात किए जाने वाले कई औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पाद सऊदी मानक, मापविज्ञान एवं गुणवत्ता संगठन (SASO) द्वारा जारी तकनीकी विनियमों के अधीन हैं। उनकी प्रक्रियाएँ SABER इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

अनुपालन प्रक्रिया की शुरुआत यह निर्धारित करने से होती है कि उत्पाद:

किसी सऊदी तकनीकी विनियम के अधीन है।

तकनीकी विनियमों के अधीन नहीं है।

स्व-घोषणा के अधीन है।

इसके लिए किसी प्रत्यायित अनुरूपता मूल्यांकन निकाय द्वारा अनुरूपता मूल्यांकन आवश्यक है।

| शिपमेंट अनुरूपता प्रमाणपत्र (SCoC)

उत्पाद की आवश्यकताएँ पूरी होने के बाद, जहाँ लागू हो, अधिराज्य को निर्यात की जाने वाली प्रत्येक खेप के लिए शिपमेंट अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। यह सीमा-शुल्क निकासी प्रक्रियाओं से जुड़े दस्तावेज़ों में से एक है।

शिपमेंट से पहले सुनिश्चित करें कि:

- उत्पाद SABER प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है।
- जहाँ आवश्यक हो, उत्पाद अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी हो चुका है।
- जहाँ लागू हो, प्रत्येक खेप के लिए शिपमेंट अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी हो चुका है।
- HS कोड सही है।
- सभी दस्तावेज़ों में उत्पाद की जानकारी एकसमान है।
- लेबल और उत्पाद की जानकारी सऊदी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।
- सभी आवश्यक वाणिज्यिक और सीमा-शुल्क दस्तावेज़ पूरे हैं।

| उत्पाद अनुरूपता प्रमाणपत्र (PCoC)

तकनीकी विनियमों के अधीन उत्पादों के लिए उत्पाद अनुरूपता प्रमाणपत्र, तकनीकी फ़ाइल की समीक्षा और किसी प्रत्यायित अनुरूपता मूल्यांकन निकाय के माध्यम से संबंधित सऊदी तकनीकी विनियम के प्रति उत्पाद की अनुरूपता प्रदर्शित होने के बाद जारी किया जाता है।



खाद्य, पेय, प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद

खाद्य, पेय, प्रसाधन, पशु आहार और स्वास्थ्य-देखभाल उत्पाद सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (SFDA) की निगरानी के अधीन हैं। अनुपालन प्रक्रियाएँ उत्पाद के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होती हैं।

। निर्यात से पहले

भारतीय निर्माता या निर्यातक को सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण में पंजीकृत, लाइसेंसधारी सऊदी आयातक के साथ समन्वय करना चाहिए। पंजीकरण प्रक्रियाएँ और नियामकीय सूचनाएँ उत्पाद के प्रकार के अनुसार बदलती हैं।

। प्रसाधन

प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों का पंजीकरण लाइसेंसधारी सऊदी प्रतिष्ठान द्वारा एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक Ghad प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

सभी विपणन दावों को लागू नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अनधिकृत उपचारात्मक या चिकित्सकीय दावों से बचना अनिवार्य है।

। चिकित्सा उपकरण और आपूर्तियाँ

चिकित्सा उपकरण और चिकित्सा आपूर्तियाँ सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण की निगरानी के अधीन हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित के अनुसार बदलती है:

- चिकित्सा उपकरण का वर्गीकरण।
- जोखिम का स्तर।
- निर्धारित उपयोग।
- निर्माण का देश।
- उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र।
- जहाँ आवश्यक हो, अधिराज्य में अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति।

। खाद्य लेबलिंग

खाद्य लेबलों को सऊदी और GCC की आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है। उनमें अनिवार्य जानकारी अरबी में देना भी आवश्यक है, जैसे:

- उत्पाद का नाम।
- सामग्री की सूची।
- मूल देश।
- वज़न या आयतन।
- उत्पादन और समाप्ति तिथियाँ।
- निर्माता और आयातक का विवरण।

। सीमा-शुल्क निकासी

इलेक्ट्रॉनिक निकासी प्रक्रियाएँ निम्नलिखित की पुष्टि के बाद पूरी होती हैं:

- पंजीकरण पूरा है।
- उत्पाद, पंजीकृत जानकारी से मेल खाता है।
- लेबल आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।
- आवश्यक दस्तावेज़ पूरे हैं।

टिप्पणी

चिकित्सा उपकरण को सऊदी बाज़ार में उतारने से पहले सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण की आवश्यकताएँ पूरी करना और आवश्यक नियामकीय दस्तावेज़ तैयार करना अनिवार्य है।

चुनिंदा प्रमुख क्षेत्रों की प्रक्रियाएँ

विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	SABER प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण, उत्पाद अनुरूपता प्रमाणपत्र, विद्युत सुरक्षा परीक्षण रिपोर्ट, ऊर्जा दक्षता आवश्यकताएँ और जहाँ लागू हों, IECEE की आवश्यकताएँ।
बच्चों के खेलौने और निम्न-वोल्टता उत्पाद	खाड़ी अनुरूपता चिह्न (G-Mark), साथ ही जहाँ लागू हों, SABER प्लेटफॉर्म की आवश्यकताएँ।
निर्माण सामग्री	SABER प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण, अनुरूपता प्रमाणपत्र, परीक्षण रिपोर्ट, कुछ उत्पादों के लिए सऊदी गुणवत्ता चिह्न और जहाँ लागू हों, सऊदी भवन संहिता की आवश्यकताएँ।
प्लास्टिक उत्पाद	SABER की आवश्यकताएँ, कुछ उत्पादों के लिए ऑक्सो-जैवअपघटनीय प्लास्टिक का लोगो और जहाँ लागू हों, खाद्य-संपर्क सामग्री की आवश्यकताएँ।
औद्योगिक मशीनरी और उपकरण	जोखिम मूल्यांकन, तकनीकी फ़ाइल, संचालन पुस्तिका, परीक्षण रिपोर्ट और कुछ उत्पादों के लिए तकनीकी निरीक्षण।
रासायनिक उत्पाद	सुरक्षा डेटा शीट (SDS), रासायनिक वर्गीकरण तथा खतरनाक या प्रतिबंधित पदार्थों के परिवहन, भंडारण और विशिष्ट अनुमति संबंधी आवश्यकताएँ।



हम 'आवश्यक हो
सकता है' क्यों कहते
हैं?

अनुपालन की आवश्यकताएँ केवल क्षेत्र के आधार पर तय नहीं होतीं। वे कई कारकों पर निर्भर हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

- HS कोड।
- उत्पाद की प्रकृति।
- निर्धारित उपयोग।
- लागू तकनीकी विनियम।
- उत्पाद के घटक।
- निर्माण का देश।
- नियामकीय श्रेणी।

इसलिए प्रत्येक उत्पाद का अलग से मूल्यांकन करना अनिवार्य है।

भारत से सऊदी अरब को निर्यात करते समय होने वाली आम गलतियाँ

1) अनुरूपता प्रक्रियाएँ पूरी होने से पहले माल भेजना
कुछ निर्यातक पंजीकरण पूरा होने या अनुरूपता
प्रमाणपत्र प्राप्त होने से पहले उत्पाद भेजना शुरू कर
देते हैं। इससे सीमा-शुल्क निकासी में देरी हो सकती है
या खेप अस्वीकार हो सकती है।

2) गलत HS कोड चुनना
गलत HS कोड चुनने से उत्पाद पर ऐसी अलग
नियामकीय आवश्यकताएँ लागू हो सकती हैं, जो उसके
लिए उपयुक्त नहीं हैं।

3) यह मानना कि भारतीय उत्पादों के लिए अनुरूपता
आवश्यक नहीं है
भारत में निर्मित होने या भारतीय मूल-स्थान प्रमाणपत्र
होने से उत्पाद को सऊदी अनुरूपता आवश्यकताओं या
जहाँ लागू हो, SABER प्लेटफॉर्म अथवा सऊदी खाद्य एवं
औषधि प्राधिकरण में पंजीकरण से छूट नहीं मिलती।

4) दस्तावेजों में असंगतियाँ
देरी के आम कारणों में शामिल हैं:

- उत्पाद के नाम में अंतर।
- मॉडल संख्या में अंतर।
- निर्माता के नाम में अंतर।
- मूल देश में अंतर।
- चालान, अनुरूपता प्रमाणपत्रों, लेबलों और तकनीकी
फ़ाइल में ब्रांड के नाम में अंतर।

5) आवश्यकताओं के अनुरूप न होने वाले लेबलों का
उपयोग
लेबल पर अनिवार्य जानकारी अरबी में न देने या गलत
जानकारी शामिल करने से आपत्तियाँ उठ सकती हैं या
खेप अस्वीकार हो सकती है।

6) अयोग्य आयातक के साथ काम करना
पंजीकरण और सीमा-शुल्क निकासी प्रक्रियाओं की
सफलता काफी हद तक तकनीकी फ़ाइलों के प्रबंधन
और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के उपयोग में सऊदी
आयातक के अनुभव पर निर्भर करती है।
आयातक को FASAH प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीमा-
शुल्क निकासी प्रक्रियाएँ पूरी करना और लागू
आवश्यकताओं के अनुसार दस्तावेज़ जमा करना भी
अनिवार्य है।

7) केवल विदेशी प्रमाणपत्रों पर निर्भर रहना
ऐसे प्रमाणपत्र:

- CE
- UL
- FDA
- ISO

तकनीकी फ़ाइल का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ
कोई तकनीकी विनियम या विशिष्ट नियामकीय
आवश्यकताएँ लागू हों, वहाँ वे सऊदी आवश्यकताओं
का विकल्प नहीं हैं।



- क्या सही HS कोड की पहचान कर ली गई है?
- क्या उत्पाद किसी सऊदी तकनीकी विनियम के अधीन है?
- क्या उत्पाद का SABER प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण आवश्यक है?
- क्या उत्पाद का सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण में पंजीकरण आवश्यक है?
- क्या तकनीकी फ़ाइल पूरी है?
- क्या परीक्षण रिपोर्ट प्रत्यापित निकायों द्वारा जारी की गई हैं?
- क्या लेबल की जानकारी सऊदी आवश्यकताओं के अनुरूप है?
- क्या योग्य सऊदी आयातक का चयन कर लिया गया है?
- क्या वाणिज्यिक चालान, मूल-स्थान प्रमाणपत्र, पैकिंग सूची और लदान बिल तैयार हैं?
- क्या खेप के पहुँचने से पहले सीमा-शुल्क आवश्यकताएँ पूरी कर ली गई हैं?

निर्यात शुरू करने से पहले

सुनिश्चित करें कि आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं:

ज़कात, कर एवं सीमा-शुल्क प्राधिकरण आयातकों से आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने की अपेक्षा करता है। इनमें वाणिज्यिक चालान, लदान बिल और जहाँ आवश्यक हो, मूल-स्थान प्रमाणपत्र के साथ माल की प्रकृति के अनुसार अन्य दस्तावेज़ शामिल हैं। लागू समय-सीमाओं और प्रक्रियाओं के अनुसार, खेप के पहुँचने से पहले FASAH प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीमा-शुल्क निकासी प्रक्रियाएँ पूरी करना भी अनिवार्य है।

कानूनी अस्वीकरण

यह मार्गदर्शिका सामान्य जागरूकता और मार्गदर्शन के लिए तैयार की गई है। यह किसी उत्पाद या खेप की पूर्व स्वीकृति नहीं है।

नियामकीय आवश्यकताएँ निम्नलिखित के अनुसार बदल सकती हैं:

उत्पाद की प्रकृति।

HS कोड।

निर्धारित उपयोग।

लागू तकनीकी विनियम।

निर्माण का देश।

सऊदी नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी अद्यतन।

इसलिए प्रत्येक उत्पाद का अलग से मूल्यांकन करना तथा उत्पादन, अनुबंध करने या शिपमेंट से पहले नवीनतम आवश्यकताओं की पुष्टि करना अनिवार्य है।



संपर्क जानकारी

हम तकनीकी अनुपालन, अनुरूपता प्रमाणपत्रों के प्रबंधन और नियामक प्राधिकरणों के साथ समन्वय के लिए एकीकृत समाधानों के माध्यम से भारतीय कंपनियों को सऊदी बाज़ार में तेज़ी और दक्षता से प्रवेश करने में सहायता करते हैं।

Support@tabseergroup.com

+966920010756

www.tabseer.co